



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कायपालक निदेशक

संचिका संख्या : SHSB/GA/HR/1244/2014 (P-I)

आदेश सं०: 2617

पटना, दिनांक: 23 / 07 / 2022

—आदेश—

विज्ञापन संख्या 02/2020 के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन **District Urban Health Consultant (NUHM)** के संविदागत रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय रु० 35,000/- प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) में पदस्थापित किया जाता है:—

क्र०	रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	30431781	PRITI SINGH	UR	PATNA
2	30331547	VANDANA RAJ	UR	DARBHANGA
3	30832178	SANDEEP KUMAR YADAV	UR	MUNGER
4	30331608	ABHISHEK RANJAN	UR	BEGUSARAI
5	30431697	MD TARIQUE ANWAR	UR	ROHTAS
6	30932302	KALPANA KUMARI	UR	NALANDA
7	30131296	PERWEZ AKHTER	BC	MUZAFFARPUR
8	30431691	MD DILNAWAZ	BC	PURNIA
9	30431764	RAVI SHANKAR	MBC	GAYA
10	30431704	CHANDRA KISHOR MAHTO	SC	WEST CHAMPAHAN

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :—

- दिनांक 12 अगस्त, 2022 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच राक्षग प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोंपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- योगदान के पश्चात् रु० 1,000/- (एक हजार रुपये) का 2 – Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सक्षम पदाधिकारी के साथ एकरानामा करेंगे।
- सरकारी या अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ROP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरानामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii. उक्त पदाधिकारियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण—पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- ix. सभी नवनियोजित District Urban Health Consultant (NUHM) को एकमुश्त मानदेय रु० 35,000/- (पैसेस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR Code- HSS (U).5 के क्रमांक 142.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/—

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/1244/2014 (P-I)/26.1.7

पटना, दिनांक: 23/07/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविल सर्जन—सह—सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव—सह—प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियन्त्रण सहित), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट—सह—डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

23/07/2022
कार्यपालक निदेशक

